

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,

—:: सार्वजनिक सूचना ::—

क्रमांक / 1548 / भू-अर्जन / आ0क्र0नि0-16 -

पाटन, दिनांक / 07 / 08 / 2021
09

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की करहीभदर-निपानी-मोखा-बटरेल-जामगांव (आर) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण हेतु ग्राम-जामगांव (आर) प.ह.नं. 46 तहसील-पाटन जिला-दुर्ग (छ.ग.) के निम्नांकित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के प्रावधानों के तहत अनुसूची में वर्णित भूमि को परियोजना प्रबंधक, ए.डी.बी. प्रोजेक्ट, छ.ग.राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना लो.नि.वि., राजनांदगांव मुख्यालय, दुर्ग (छ.ग.) के पक्ष में क्रय करने पर विचार किया जा रहा है:-

क्रय की जाने वाली भूमि व कृषकों के विवरण)					
स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम	क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण	स्थायर परिसंपत्तियों का विवरण		
			खसरा	रकबा	
1	2	3	4	5	
1	चन्द्रकिशोर	जिवराखन	226/2	130.00 व.मी.	-
2	दयालू	रतनू	224	100.00 व.मी.	
3	शत्रुहन, भारतलाल, पोषणलाल, सुशीला, राधाबाई, महेश्वरी आ. मंगलू दुर्गेश, दुर्गा आ. शावत, पप्पू, गायत्री, कलाबाई, अमुना आ. बिसाली		225	150.00 व.मी.	
			197	40.00 व.मी.	
4	रिखी उर्फ रीना	घनश्याम	196	170.00 व.मी.	
5	संतराम, संतुबाई, लक्ष्मीबाई, अनुसुईयाबाई	बाबूलाल	220	30.00 व.मी.	
6	संतोष कुमार	मदनलाल	219/1	50.00 व.मी.	
7	राजू कोमल प्रसाद	जेड्धाप्रसाद	219/2	30.00 व.मी.	
8	रामराज	गणेशराम	214/1	72.00 व.मी.	
	कुल योग-08 खातेदार		09	772.00 व.मी.	

02- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर, दुर्ग के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

(डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे)

कलेक्टर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. परियोजना प्रबंधक, ए.डी.बी. प्रोजेक्ट, छ.ग.राज्य सडक क्षेत्र परियोजना लो.नि.वि. राजनांदगांव मुख्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। सार्वजनिक सूचना का एक राज्य स्तरीय दैनिक सामाचार पत्र एवं स्थानीय सामाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ। कृपया सार्वजनिक सूचना का छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के वेबसाईट एवं कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) दुर्ग (छ.ग.) वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. तहसीलदार, पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सचिव, ग्राम पंचायत-जामगांव (आर) तहसील-पाटन जिला-दुर्ग (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित एवं ग्राम पंचायत के सूचना बोर्ड में प्रकाशन हेतु।

कलेक्टर, जिला दुर्ग (छ.ग.)
एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग